FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

.... बनाम ....

.... मु. नं. ...258... सन् ...2017...

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

दिनांक 7-8-18 को पेश हो।

Vimla

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार वर्ष–2018
...(ग्रुप–1) विभाग जयपुर ...
7-8-18 से राजस्व लोक ...
... में पत्रावली लोक अदालत ...
... अदालत / कैम्प कोर्ट स्थल
... दिनांक 18-5-18
अटल सेवा केन्द्र– कल्याणपुरा ... में ... निर्धारित दिनांक एवं स्थान पर उपस्थित ...
... पत्रावली पेश हो। ... नोटिस जारी हो।

[illegible].05.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– कल्याणपुरा (थोई) के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के मध्य आपस में राजीनामा हो चूका है तथा प्रतिवादी नं. 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लाई जा चूकी है। प्रकरण दिनांक 09.08.2002 से बहस में विचाराधीन है। प्रकरण के पिछले 15–16 वर्ष से बहस में विचाराधीन होने से प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ।

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 582 रकबा 0.42 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है जिसका राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है जो गलत है। पक्षकारान् व इनके

Gm

Scanned by CamScanner

नाथूराम बनाम कजोड़मल वगै.

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

मु.नं. 258/2017

अन्य परिवारजन की और पारिवारिक भूमियाँ है। बाहमी पारिवारिक समझौता के तहत उक्त भूमि खसरा नम्बर 582 सम्पूर्ण अकेले वादी के हिस्सा भाई बंट में आई हुई है। प्रतिवादीगण के दीगर पारिवारिक भूमि हिस्से में आई हुई है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। वादी का लगातार कब्जा काश्त होने से कानूनन खातेदार काश्तकार है एंव खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। वादी के नाम खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वादी उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी होने से वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में प्रकरण में वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के मध्य आपस में राजीनामा हो चूका है तथा प्रतिवादी नं. 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लाई जा चूकी है। साक्ष्य वादी में वादी का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र व वादी गवाह में मालाराम व डूंगाराम ने शपथ पत्र पेश कर वादी के वादपत्र का समर्थन किया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के बाहमी बंटवारे में कौनसी दीगर भूमियॉ आई है। इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है एंव ना ही साक्ष्य गवाहान् ने ही प्रतिवादीगण के बाहमी बंटवारें में आई भूमियों के बारे में ही वर्णित किया है। जिससे वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती हो।

अतः वादी द्वारा पेश वादपत्र न्याय आपके द्वार अभियान–2018 में आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प –कल्याणपुरा (थोई) में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर इस शर्त पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 582 रकबा 0.42 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर का वादी को तनहा काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्से से प्रतिवादीगण न. 1 ता 3 का नाम हजफ किया जाता है। उक्त

Gm

Scanned by CamScanner

नाथूराम बनाम राजस्थान सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

मु०नं० 258/2017

अहलकार व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

घोषित रकबा 0.42 हैक्टर की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरों पर स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर अटल सेवा केन्द्र कल्याणपुरा (थोई) के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रहम लाल जाट)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–कल्याणपुरा (थोई)

Scanned by CamScanner